उत्तर प्रदेश शासन

वित्त(सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-33/2016/एस-2-2274/दस-2016-88क(9)/2016

लखनऊ :: दिनॉक:: 24 नवम्बर, 2016

<u>कार्यालय-आदेश</u>

श्री राज्यपाल, सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा के कॉलम संख्या-2 में उल्लिखित अधिकारियों को जनहित में उनके वर्तमान पद एवं स्थान से तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कर उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या-3 में अंकित पद व स्थान पर तैनात किये जाने के सहर्ष आदेश प्रदान करते है:-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/ पदनाम/ वर्तमान तैनाती	पद व स्थान, जहॉ स्थानान्तरित करके तैनात किया गया
1	2	3
1	श्री राम लवट त्रिपाठी, उप निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।	संयुक्त निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।
2	श्री अखिलेश चन्द्र मौर्य, सहायक निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।	उप निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।
3	श्री युग्गी लाल, सहायक निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।	उप निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।

2- उक्त स्थानान्तरित अधिकारी अपने प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर अपने वर्तमान पद व स्थान से तत्काल कार्यमुक्त होकर अपने नवीन तैनाती के पद व स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक की प्रति शासन एवं निदेशक कोषागार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(शिव गोपाल सिंह)

अनु सचिव।

<u>संख्या-33/2016/ एस-2-2274(1)/दस-2016, तददिनॉक।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanades.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

2- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।
3- निदेशक, आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा/सामूहिक बीमा निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
4- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
5- मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, (जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट)लखनऊ।
6- संबंधित अधिकारीगण।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव गोपाल सिंह)
अनु सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanades.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।